

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट

मान्यता आदेश

पत्रांक/

१४१३

/2015-16

दिनांक - ३१-०३-२०१६

प्रबन्धक - सुषमा स्वरूप इण्टर नेशनल स्कूल कर्वी राजापुर रोड अशोह, चित्रकूट।

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियम, २०१० के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख १८.०८.२०१५ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्वी पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, सुषमा स्वरूप इण्टर नेशनल स्कूल कर्वी राजापुर रोड अशोह, जनपद-चित्रकूट को दिनांक-३१.०३.२०१६ से दिनांक-३१.०३.२०१९ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-१ से पूर्व की दो कक्षाएँ सहित कक्षा ८ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तमान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-८ के पश्चात् मान्यता सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (उपबन्ध-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २०१० (उपबन्ध २) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) को उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालकों को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालयों में निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

P.T.O.


Principal
Sushma Swaroop International school
Rajapur Road, Asoh, Karwi
Chitrakoot (U.P.)





(2)

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 94089.6 वर्ग फीट

कुल निर्मित क्षेत्र - 28700 वर्ग फीट

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - 46620 वर्ग फीट

कक्षाओं की संख्या - 18

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भण्डागार के लिए कक्ष - 07

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - निर्मित है।

पेयजल सुविधा - उपलब्ध है

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई -

बाधारहित पहुंच - है

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा समीक्षा की गानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 17/2015-16 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न संपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता हेतु अन्य द्वारा प्रस्तुत अधि. क्षेत्र/सूचना आदेश, आदेश माने जाने पर तथा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।
19. मान्यता आदेश सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या तथा संस्तुति के आधार पर निर्गत किया गया है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मान्यता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।


भवदीय



(वी० के० सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

चित्रकूट


Principal
Suchma Swaroop International School
Rajapur Road, Asoh, Kanwi
Chitrakoot (U.P.)